



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2024/डी-2037

दिनांक...9/12/24

मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि.
जरिये निदेशक श्री सुभाष चन्द सैनी
पुत्र श्री गणेश राम सैनी,
पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस,
सेक्टर-7, मानसरोवर, जयपुर, राज.।

विषय:- निजी खातेदारी की आवासीय योजना रियासत सन्तोषपुरा, ग्राम सन्तोषपुरा
तह. चाकसू का अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम सन्तोषपुरा तह. चाकसू के
खसरा नं. 274/271, 276/273, 97, 98 कुल किता 04 कुल रकबा 1.0285 हैक्ट, भूमि में
आवासीय योजना "रियासत सन्तोषपुरा" का मानचित्र अनुमोदन बी.पी.सी.(एल.पी.) की
373वीं बैठक दिनांक 06.11.2024 में किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में
अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है,
उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य
पूर्ण होने पर तथा जविप्रा से रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र
की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अतः आप योजना का रेरा में पंजीकरण करवाकर प्रमाण
पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन-14
जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

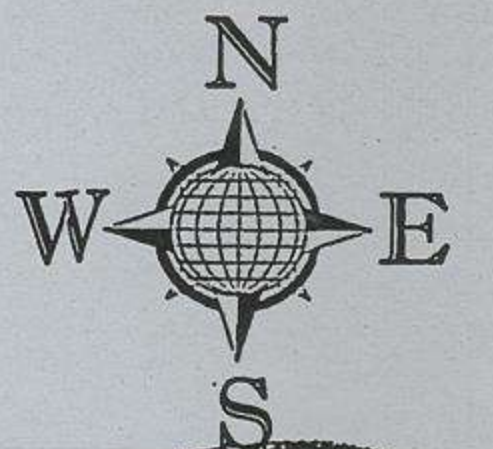
Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.12.09 17:23:50 IST
Reason: Approved

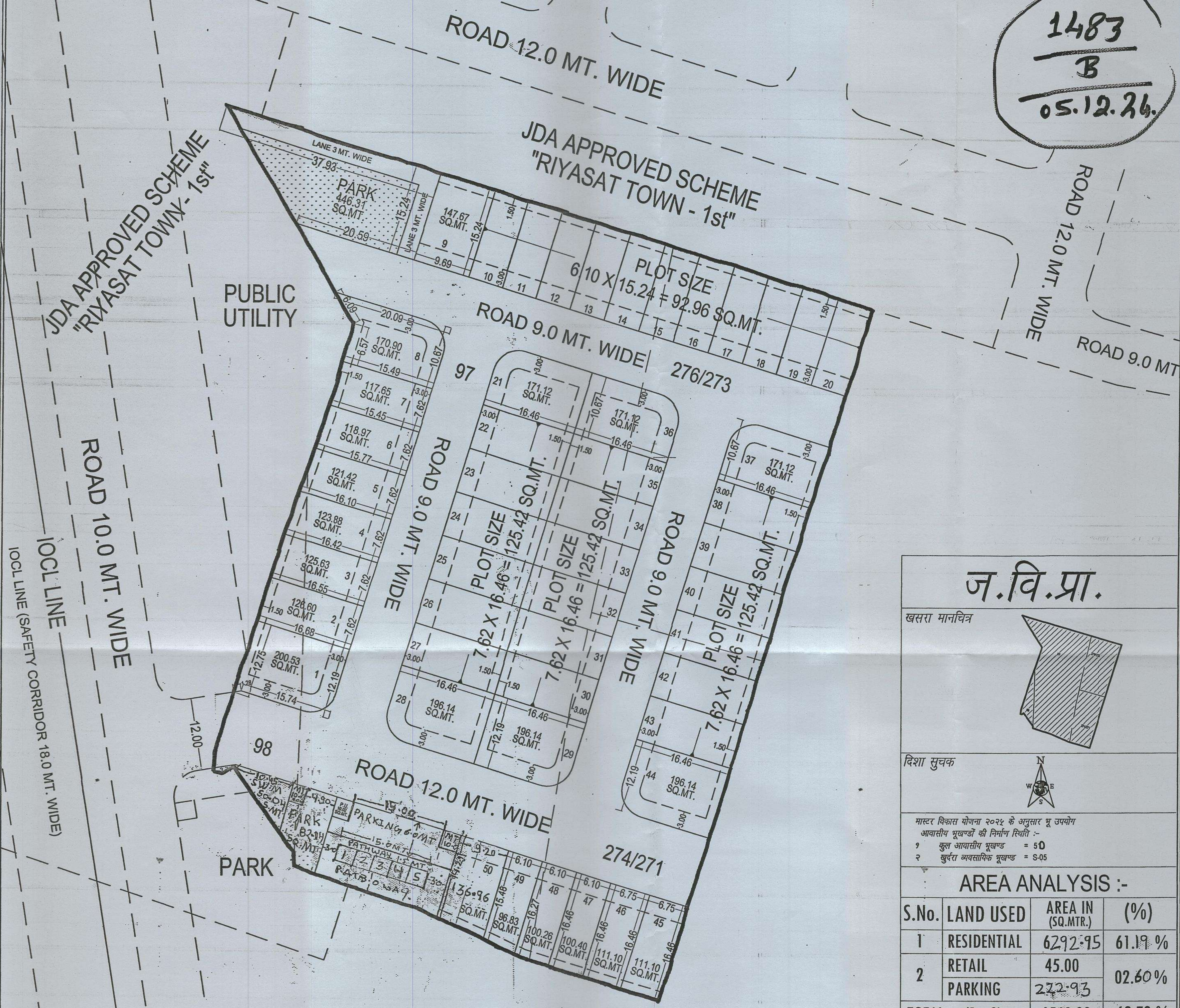


राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर मार्ग, जयपुर-302004
दुस्माप : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:
dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT SANTOSHPURA"
IN KHASRA NO.- 97, 98, 274/271, 276/273.
AT VILLAGE :- SANTOSHPURA, TEH.:- CHAKSU, JAIPUR.

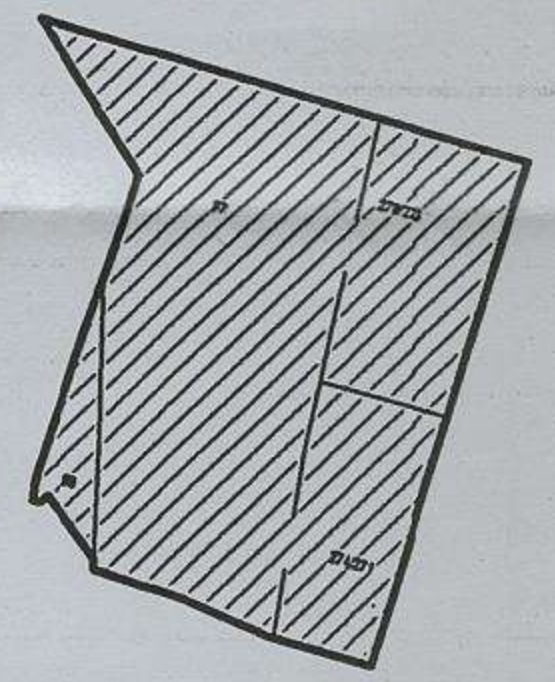


1483
B
05.12.24.



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सुचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
9 कुल आवासीय भूखण्ड = 50
2 खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड = S-05

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	6292.95	61.19 %
2	RETAIL	45.00	02.60 %
	PARKING	222.93	
TOTAL = (1+2)		6560.88	63.79 %
3	PARK	528.46	05.13 %
4	S.W.M.	50.04	0.49 %
5	MOBILE TOWER	20.04	0.20 %
6	PU (TOILET)	10.02	0.10 %
7	ROAD	3115.56	30.29 %
TOTAL = (3 TO 7)		3724.12	36.21 %
TOTAL AREA		10285.00	100.00 %
		01.0285 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं नौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपयुक्त जोन-
बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:- PROPOSED LAYOUT PLAN OF "RIYASAT SANTOSHPURA" IN KHASRA NO.- 97, 98, 274/271, 276/273. AT VILLAGE :- SANTOSHPURA, TEH.:- CHAKSU, JAIPUR.

जोन संख्या = 14

पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक	अति. सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक
------------------	-----------------------	-------------------

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT:-

Cad Max PROJECTS (P) LTD.
301, Third Floor Prism Tower, Front of Police Head Quarters, Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
PH: 0141-413111, Mob: -91-9829045031
Website: www.cadmaxpro.com, e-mail: info@cadmaxpro.com

नोट-

- राजस्व ग्राम संतोषपुरा तह. चाकसू के खनं. 274/271, 276/273, 97, 98 कुल किता 04 रकबा 01.0285 हैक्ट. भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/102822 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग यू-2 एच.आई.जेड दर्शित है।
- योजना रियासत संतोषपुरा का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 373वीं बैठक दिनांक 06.11.2024 में किया गया है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्रावधान नविवि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होंगे।
- योजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य राशि ली गयी है।
- योजना मानचित्र टेंशनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
- आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भू.सं. 2, 15, 30, 31, 32, 33, 48 कुल भूखण्ड 07 कुल क्षेत्रफल 821.50 वर्गमीटर रहन रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

ILR/PATWARI
(ZONE-14)

T.D.R
(ZONE-14)

D.T.P.
(ZONE-14)

D.C.
(ZONE-14)

S.T.P
B.P.C.(L.P)

A.C.T.P
B.P.C.(L.P)